

**राजस्थान विधान सभा**  
**अष्टम सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. उपाध्यक्ष का निर्वाचन**

1- श्री अशोक गहलोत सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या -16) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री शांति कुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-177) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

2- श्री गुरमीत सिंह कुन्वर सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-49) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।"

श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-196) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

3- श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-63) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।"

**जारी..2..**

श्री महेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-129) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

4- श्री कमल बैरवा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-26) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"कि श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय ।"

श्रीमती कान्ता भील, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-32) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी।

### 3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

#### अधिसूचनार्ये

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वित्त तथा प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

#### (क) वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.2(25)वित्त/कर/2011-38 दिनांक 12.8..2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2007-155 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.2(25)वित्त/कर/2011-39 दिनांक 12.8..2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)वित्त/कर/2011-40 दिनांक 1.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)वित्त/कर/2011-41 दिनांक 1.9.2011 जिसके द्वारा कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित पावरलूम सैक्टर में रजिस्ट्रीकृत नये उद्यमों द्वारा सूत के क्रय पर संदेय कर से 80 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.2(40)वित्त/कर/11-42 दिनांक 12.9.2011 जिसके द्वारा राजकीय कम्पनियों द्वारा अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाये जाने के संशोधित आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.2(36)वित्त/कर/2011-43 दिनांक 12.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के तहत विलम्ब से किये गये अभ्यावेदनों में देय लेट फीस की छूट प्रदान की गई है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(101)वित्त/कर/2011-45 दिनांक 12.9.2011 जिसके द्वारा रजिस्टर्ड डीलर्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को वस्तुओं के हस्तान्तरण पर देय कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.12(92)वित्त/कर/2011-46 दिनांक 15.9.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-169 दिनांक 30.3.2011 को अतिष्ठित कर ऐसे व्यवहारियों, जिन्होंने 30.9.2011 तक वर्ष 2009-10 से संबंधित समस्त विवरणियाँ फाईल कर दी हैं और समस्त शोध कर निक्षिप्त करा दिये हैं, द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये संदेय शास्ति की रकम और ब्याज का इसके द्वारा अधित्यजन किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(92)वित्त/कर/2011-47 दिनांक 15.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2011-48 दिनांक 20.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2011-49 दिनांक 20.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20(1) के अन्तर्गत व्यवहारियों द्वारा कर संदत्त किये जाने के अंतराल विनिर्दिष्ट किये गये हैं ;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2010-53 दिनांक 30.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2010-54 दिनांक 30.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के भीतर औषधियों/चिकित्सा उपस्करों के क्रय या विक्रय पर वैट में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2010-55 दिनांक 30.9.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में लाई गई औषधियों/चिकित्सा उपस्करों को प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(124)वित्त/कर/2011-57 दिनांक 3.10.2011 जिसके द्वारा प्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित किये जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, 2010 के प्रतिनिधियों को 6 से 10 जनवरी, 2012 तक की कालावधि के लिये वास सुविधा उपलब्ध कराने पर होटलों द्वारा संदेय कर से विलासिता कर में छूट दी गई है ;

- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.12(40)वित्त/कर/2010-59 दिनांक 11.10.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बसों की बॉडी क्रय करने पर वैट से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/09-60 दिनांक 21.10.2011 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को 74 करोड़ रुपये के शेयर प्रमाण पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति प्रदान की गई है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.12(138)वित्त/कर/2009-61 दिनांक 25.10.2011 जिसके द्वारा सोलर फोटोवोल्टेक पावर पॉइन्ट के लगाये जाने पर केपिटल गुड्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)वित्त/कर/09-62 दिनांक 25.10.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.4(25)वित्त/कर/2003-63 दिनांक 2.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(167)वित्त/कर/2009-64 दिनांक 2.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I V में संशोधन किया गया है ;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(49)वित्त/कर/2011-65 दिनांक 4.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.12(49)वित्त/कर/2011-66 दिनांक 4.11.2011 जिसके द्वारा राज्य में औद्योगिक गैसों का विनिर्माण करने वाले व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर विनिर्मित माल के विक्रयों पर संदेय कर में 75 प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.5(31)वित्त/कर/2011-67 दिनांक 15.11.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2007-156 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010-68 दिनांक 17.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011-12 में रुपये 400 करोड़ के अपरिवर्तनीय बाण्ड जारी करने पर प्रभार्य शुल्क कम किया जावेगा और 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा है ;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/10-69 दिनांक 17.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के 15 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है ;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2010-70 दिनांक 23.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2010-71 दिनांक 23.11.2011 जिसके द्वारा मैसर्स होण्डा मोटर साईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड को कच्ची सामग्री, घटकों और पुर्जों के क्रय पर 5 प्रतिशत से अधिक संदेय कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.12(70)वित्त/कर/2011-72 दिनांक 30.11.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-78 दिनांक 6.10.2010 में संशोधन किया गया है ;
- 31 अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-79 दिनांक 6.10.2010 में संशोधन किया गया है ;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-75 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में संशोधन किया गया है ;
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-76 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/2010-81 दिनांक 6.10.2010 में संशोधन किया गया है ;
- 34- अधिसूचना संख्या: एफ.12(20)वित्त/कर/2011-77 दिनांक 8.12.2011 जिसके द्वारा राज्य के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों द्वारा संदेय कर (प्रवेश कर) में 50 प्रतिशत के संदाय का सशर्त आस्थगन किया गया है ;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.12(99)वित्त/कर/2009-78 दिनांक 9.12.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(22)वित्त/कर/2010-86 दिनांक 9.3.2010 में संशोधन किया गया है ;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.12(125)वित्त/कर/2009-79 दिनांक 14.12.2011 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.12(39)वित्त/कर/11-80 दिनांक 15.12.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;
- 38- अधिसूचना संख्या: एफ.3(20)वित्त/कर/11-81 दिनांक 23.12.2011 जिसके द्वारा डालीबाई सेवा संस्थान, जोधपुर को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 39- अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2009-पार्ट-82 दिनांक 6.1.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/09-48 दिनांक 3.8.2009 में संशोधन किया गया है ;

- 40- अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/09-83 दिनांक 12.1.2012 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 41- अधिसूचना संख्या: एफ.12(106)वित्त/कर/2011-84 दिनांक 17.1.2012 जिसके द्वारा राज्य में जन वितरण प्रणाली के द्वारा बेचे जाने वाले केरोसीन को दिनांक 9.3.2011 से प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 42- अधिसूचना संख्या: एफ.12(106)वित्त/कर/2011-85 दिनांक 17.1.2012 जिसके द्वारा राज्य में जन वितरण प्रणाली के द्वारा बेचे जाने वाले केरोसीन को दिनांक 19.6.2011 से प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 43- अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2011-86 दिनांक 27.1.2012 जिसके द्वारा राज्य में सोलर थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ; एवं
- 44- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)वित्त/कर/10-87 दिनांक 2.2.2012 जिसके द्वारा जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा बसों के क्रय पर वैट से छूट प्रदान की गई है ।

**(ख) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु.एवं स./ग्रुप-1/2008 दिनांक 20.10..2011 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम, 2011 विरचित किये गये हैं;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5.10..2011 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधान लागू किये गये हैं एवं सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदान करने की नीयत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये हैं ;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 16.12..2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5.10..2011 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु.एवं स./ग्रुप-1/2008 दिनांक 20.10..2011 जिसके द्वारा विभागों के समस्त प्रभारी सचिवों को उनके अपने-अपने विभागों के लिये पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ; एवं
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.13(1)प्र.सु.एवं स./ग्रुप-1/2008 दिनांक 20.10..2011 जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रथम अपील को निपटाने के लिये समय सीमा नीयत की गई है ।

II- श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्यमंत्री, यातायात विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या:एफ.6(62)परि/कर/मु/08 दिनांक 26.4.2011, जिसके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इन्टरप्रिटेशन एण्ड एनेलिसिस (आई इण्डिया) संस्थान, जयपुर के कतिपय वाहनों को सशर्त कर से मुक्त किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या:एफ.6(64)परि/कर/मु/08 दिनांक 24.5.2011, जिसके द्वारा प्रयास संस्थान, जेड-ए, झालाना इंस्टीट्यूशनल ऐरिया, जयपुर के वाहन चैसिस संख्या : एमएटी-357251-ए-8-डी-15-941 को क्रय तिथि से 3 वर्ष की अवधि हेतु सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या:एफ.6(96)परि/कर/मु/10/ दिनांक 27.5.2011, जिसके द्वारा दिनांक 1.6.2011 से 14.6.2011 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने वाले यात्री वाहनों के लिये देय करों का परिहार किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 25.8.2011, जिसके द्वारा क्यूआरजी फाउण्डेशन, अलवर द्वारा क्रय किये गये कतिपय वाहनों को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या:एफ.6(75)परि/कर/मु/08 दिनांक 26.8.2011, जिसके द्वारा दिनांक 28.8.2011 से 10.9.2011 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जैसलमेर) आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये देय करों का परिहार किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(77)परि/कर/मु/04/12344 दिनांक 27.9.2011, जिसके द्वारा नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट, उदयपुर के वाहन संख्या-आरजे-27-पीए-3201 को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या:एफ.6(214)परि/कर/मु/11 दिनांक 21.11.2011, जिसके द्वारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जयपुर के वाहन 14 सीटर टैम्पो ट्रेवलर को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या:एफ.6(229)परि/कर/मु/11 दिनांक 15.12.2011, जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर के वाहन टाटा मैजिक को सशर्त कर मुक्त किया गया है ; एवं
- 9- अधिसूचना संख्या:एफ.6(260)परि/कर/मु/11/17894 दिनांक 16.12.2011, जिसके द्वारा नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की तिथि के पश्चात् की अवधि के देय कर,अधिभार,शास्ति एवं ब्याज की छूट प्रदान करने बाबत् एवं नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त वाहनों पर दिनांक 31.3.2008 तक बकाया कर, दिनांक 15.3.2012 तक जमा करवाने की शर्त पर शास्ति एवं ब्याज पर छूट प्रदान की गई है ।

#### 4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2007-08 के 213वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सहायता विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 118वाँ प्रतिवेदन ।
2. जनलेखा समिति, 2009-10 के 37वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 119वाँ प्रतिवेदन ।
3. जनलेखा समिति, 2010-11 के 40वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 120वाँ प्रतिवेदन ।
4. जनलेखा समिति, 2007-08 के 203वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 121वाँ प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति, 2010-11 के 56वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट वित्त विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 122वाँ प्रतिवेदन ।
6. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.1 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.4.6 में समाविष्ट कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 123वाँ प्रतिवेदन ।
7. जनलेखा समिति, 2010-11 के 43वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 124वाँ प्रतिवेदन ।
8. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.6 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 125वाँ प्रतिवेदन ।
9. जनलेखा समिति, 2010-11 के 47वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 126वाँ प्रतिवेदन ।



10. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 3.4 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 127वाँ प्रतिवेदन ।
11. जनलेखा समिति, 2010-11 के 41वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 128वाँ प्रतिवेदन ।
12. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.2.2 सार्वजनिक निर्माण एवं तकनीकी शिक्षा तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद 3.2.3 सार्वजनिक निर्माण उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 129वाँ प्रतिवेदन ।
13. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.5.2 सहकारिता विभाग, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद 4.1.3 व 4.4.10 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.4.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 130वाँ प्रतिवेदन ।
14. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 131वाँ प्रतिवेदन ।
15. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 132वाँ प्रतिवेदन ।
16. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 133वाँ प्रतिवेदन ।
17. जनलेखा समिति 2008-09 के 270वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 134वाँ प्रतिवेदन ।
18. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 135वाँ प्रतिवेदन ।
19. जनलेखा समिति, 2009-10 के 36वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 136वाँ प्रतिवेदन ।
20. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 3.4 में समाविष्ट सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 137वाँ प्रतिवेदन ।

21. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 1.6.4 व 3.4 वन, जेल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं राजकीय उपक्रम तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.7 व 3.3.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 138वाँ प्रतिवेदन ।
  22. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट भू राजस्व एवं विद्युत कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 139वाँ प्रतिवेदन।
  23. जनलेखा समिति, 2010-11के 59वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग की सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 140वाँ प्रतिवेदन ।
  24. विनियोग लेखें वर्ष 2008-09 में बताये गये दत्तमत्त, अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 141वाँ प्रतिवेदन ।
  25. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2003-04 में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर एवं अल्पबचत निदेशालय (विभाग समाप्त) स्थानान्तरित स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 142वाँ प्रतिवेदन ।
- (2) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-
- 1- सैनिक कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, गृह, सार्वजनिक निर्माण, संसदीय कार्य, मत्स्य, खादी एवं ग्रामोद्योग, सहकारिता, देवस्थान, वित्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा, कृषि, कारागार, श्रम, इंदिरा गांधी नहर, पर्यटन, पर्यावरण, यातायात, सामान्य प्रशासन, आयोजना, प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, सम्पदा, कला एवं संस्कृति, सहायता, तकनीकी शिक्षा, विधि एवं डेयरी विभाग के वर्ष 2007 के आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-2012 का द्वितीय प्रतिवेदन ; एवं
  - 2- पर्यावरण, कृषि विपणन, सहायता, श्रम एवं नियोजन, खादी एवं ग्रामोद्योग, देवस्थान, सिंचित क्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त, स्वायत्त शासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उच्च शिक्षा, पशुपालन, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, कृषि, विधि, मत्स्य, डेयरी, संसदीय कार्य, पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, युवा एवं खेलकूद, सामान्य प्रशासन, वक्फ, उपनिवेशन, ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2008 के आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-2012 का तृतीय प्रतिवेदन ।

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, विशेषाधिकार समिति, 2011-2012 जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा पाँच विधायक आवास गृह खाली करवाकर उनका कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं सौंपे जाने पर गृह समिति 2009-2010 द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति, 2011-2012 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

**5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रोत्तर वाद-विवाद**

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (वि.सं.-95), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रोत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

**कृष्ण मुरारी गुप्ता**  
**उप सचिव**

**विधान सभा भवन,**  
**जयपुर**  
**दिनांक 28 फरवरी, 2012**